न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 216/2024
जीसीएमएस संख्या–2024/323

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भंवरलाल पुत्र अम्बालाल	1	दलवीरचन्द पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राह्मण
2 महेन्द्र कुमार पुत्र जवरीलाल	2	अनिल कुमार पुत्र मांगीलाल जाति जाट
3 श्यामलाल पुत्र अम्बालाल	3	सुनिल चौधरी पुत्र मांगीलाल जाति जाट
4 सुनिल कुमार पुत्र भंवरलाल सभी जातियान ब्राह्मण निवासीगण कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर	4	मंजु पत्नी सागरराम जाति राईका
	5	ममता पत्नी रामेश्वर जाति राईका
	6	संतोष पत्नी कलाराम जाति राईका निवासीगण कोसाणा तह. पीपाड़ शहर
	7	भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम
उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री बाबुलाल विश्नोई–प्रार्थीगण 1 से 4
2. श्री जगदीश प्रसाद दवे–अप्रार्थीगण 1 से 6

निर्णय दिनांकः–24.09.2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जे व काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1097/1 रकबा 1.8607 हैक्टेयर ग्राम कोसाणा की सरहद में आई हुई हैं। प्रार्थीगण के उक्त खेत खसरा नम्बर 1097/1 के उत्तर में खसरा नम्बर 1413/1403 रकबा 0.0162 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 01 खातेदारी का, खसरा नम्बर 1414/1403 रकबा 0.0566 हेक्टर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खातेदारी का, खसरा नम्बर 1404/1097 रकबा 0.1618 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 4 से 6 के खातेदारी के आये हुए हैं। खसरा नम्बर 1097/1 की उत्तरी माठ से लेकर खसरा नम्बर 1404/1097 की दक्षिणी माठ मौके पर से खुर्दबुर्द कर दी गई यानि कि खसरा नम्बर 1097/1 की उत्तरी माठ से लेकर खसरा नम्बर 1404/1097 की दक्षिणी माठ खत्म हो जाने से चारों खसरों का रकबा व उनकी सीमाएँ अनिश्चित हो गई हैं।. प्रार्थी ने अपने खेत की सीमा कायम कराने के लिए एवं सीमा की जानकारी हेतु अप्रार्थी सख्या 7 के कार्यालय में आवेदन किया जिस पर दिनांक 26.06.2024 को टीम का गठन कर सीमाज्ञान करवाने के आदेश पारित किये एवं दिनांक 10.08.2024 को सीमाज्ञान करवाया गया। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार खसरा नम्बर 1097/1 की पूर्वी भुजा 103 गट्ठा एवं पश्चिमी भुजा 92 गट्ठा होनी चाहिए, उसके अनुसार प्रार्थी ने अप्रार्थीगणों को बुलाकर अपनी–अपनी सीमाएँ पुनः कायम करने का निवेदन किया जिस पर पक्षकारों के बीच विवाद पैदा हो गया एवं भू अभिलेख निरीक्षक कोसाणा एवं उनके दल द्वारा किये गये सीमाज्ञान को नकार गये एवं उन सीमाओं पर प्रार्थीगण को काबिज होने से इन्कार कर दिया। आज दिनांक को खसरा नम्बर 1097/1 की उत्तरी माठ, खसरा नम्बर 1413/1403 की दोनो भुजाऐं, खसरा नम्बर 1414/1403 की दोनो भुजाएँ एवं खसरा नम्बर 1390/1097 की दक्षिणी भुजा का विवाद पैदा हो गया हैं। उक्त खसरों के बीच की सीमा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिसके चलते पक्षकारों के बीच विवाद हो गया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा हैं। प्रार्थी अपनी सीमा कायम कर अपने खेत की उपजाउता बढाकर कृषि उत्पाद पैदा करना चाहता हैं लेकिन अप्रार्थीगण के रवैये के चलते ऐसा नहीं कर पा रहा हैं जिसके कारण प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा हैं। प्रार्थीगण व्यवसाय से कृषक होने के नाते

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

अपनी आमदनी का जरिया भूमि का विकास करके बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अप्रार्थीगण उक्त खसरो की सीमाएँ कायम नही होने के कारण प्रार्थीगण को उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने दे रहे है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वाद कारण दिनांक 10.08.2024 को उस वक्त पैदा हुआ जब निरीक्षक भू अभिलेख द्वारा सीमाएँ ज्ञात करवाने के बाद भी अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उन सीमाओं का मुटाम नहीं लगाने दे रहे है, तब पैदा हुआ जो आज भी निरन्तर जारी है। विवादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़शहर की सरहद में आई हुई है। अत: प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर प्रार्थी की खेत खसरा नम्बर 1097/1 की उत्तरी माठ कायम कर उस पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता जगदीश प्रसाद दवे ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनसार तहसील पीपाड़ शहर कार्यालय से गठित टीम अवश्य आई थी, लेकिन उत्तरदाता ने सीमाएँ मानने से इंकार नहीं किया। आज भी सीमाएँ तय कराने के लिए तैयार है। उत्तरदाता द्वारा कभी सही सीमाएँ कायम करने में कोई कोताई नहीं बरती है, आज भी तैयार है। अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 1097/1 रकबा 1.8607 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 1097/1 रकबा 1.8607 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 1097/1 रकबा 1.8607 हैक्टेयर भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 24/09/2025 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर